क्रम-संख्या—246

रजिस्ट्रेशन नम्बर—जी0—11/लाई0—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 अक्टूबर, 2006

कार्तिक 4, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1294/सात—वि-1—01—(क) 34-2006
लखनऊ, 26 अक्टूबर, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42 सन् 1975 की द्वितीय अनुसूची का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में लोक आयुक्त के वेतन की दर से सम्बन्धित प्रविष्टियों में अन्त में आने वाले शब्द "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश" के स्थान पर शब्द "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति" रख दिये जाएंगे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42 सन् 1975) की द्वितीय अनुसूची में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबन्ध है कि लोक आयुक्त यदि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो तो वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को समय-समय पर क्रमशः अनुमन्य वेतन का हकदार है। अन्य राज्यों यथा आन्ध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लोक आयुक्तों का वेतन, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को प्रतिमाह अनुमन्य वेतन रुपये 30,000/– के बराबर है, को दृष्टिगत रखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को समय-समय पर अनुमन्य दर से वेतन का हक लोक आयुक्त को प्रदान करने हेतु व्यवस्था करने के लिये उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राज मणि चौहान,
प्रमुख सचिव।

No. 1294/VII-V-1–1(Ka)34-2006

Dated Lucknow, October 26, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Ayukta Tatha Up Lok Ayukta (Sansodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 23, 2006:–

THE UTTAR PRADESH LOKAYUKTA AND UP-LOKAYUKTAS (AMENDMENT) ACT, 2006

(U.P. Act no. 29 of 2006)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1975.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Act, 2006.

Amendment of Second Schedule to U.P. Act no. 42 of 1975

2. In the Second Schedule to the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayukta Act, 1975 in the entries relating to the rate of salary the Lokayukta *for* the words "Chief Justice of the High Court or Judge of a High Court" appearing in the end the words "Chief Justice of a High Court" shall be *substituted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Second Schedule to the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayukta Act, 1975 (U.P. Act no. 42 of 1975*) inter alia* provides that the Lokayukta, in case he has been a judge of the Supreme Court or the Chief Justice or a Judge of a High Court is entiled to salary respectively admisssible from time to time to a judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court or Judge of a High Court, keeping in view the salary of the Lokayuktas of other states such as Andhra Pradesh, Bihar, Delhi, Gujrat, Karnatka, Maharashtra and Madhya Pradesh which is Rs. 30,000/- per mensum equal to 'the salary admissible to a Judge of Supreme Court or Chief Justice of a High Court, it has been decided to amend the said Act to provide for entitling the Lokayukta to the salary at the rate admissible from time to time to a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court.

The Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayukta's (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,

R. M. CHAUHAN,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2996 राजपत्र (हि०)–(6136)–2006–597–(कम्प्यूटर / आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 173 सा० विधा०–(6137)–2006–850–(कम्प्यूटर / आफसेट)।